यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून के माह 04/2015 से 12/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2021 से 06.02.2021 तक श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>- I

1). परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुये, भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाए रखते हुये व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता है। किसानों की जरूरतों का ख्याल रखते हुये उन्हे जरूरी दिशा एवं जरूरी मदद दिया जाता है। किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं। अच्छी किस्म की फसलें उगाने के लिए किसानो को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है। भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य आच्छादित है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

स्थापना मदः- (रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण(अस्थापनों)	0	250	250	236.05	13.95
2016-17		13.95	150	163.95	157.63	6.32
2017-18		6.32	150	156.32	152.47	3.85
2018-19		3.85	150	153.85	119.13	34.72
2019-20		34.72	150	184.72	119.82	64.9
2020-21 (माह 12/2020 तक)		64.9	75	139.9	82.90	----

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं: ---लागू नही---

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	राष्ट्रिय कृषि विकास योजना	125.64	364.56	490.2	469.51	20.69
2016-17		20.69	250.00	270.69	222.52	48.17
2017-18		48.17	650.00	698.17	182.81	515.36
2018-19		515.36	395.94	911.3	290.65	620.65
2019-20		620.65	391.27	1011.92	550.38	461.54
2020-21 (माह 12/2020 तक)		461.54	0	461.54	2.5	---

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	परंपरागत कृषि विकास योजना - I	0	399.00	399.00	0	399.00
2016-17		399.00	1069.62	1468.62	253.05	1215.57
2017-18		1215.57	1397.22	2612.79	554.20	2058.59
2018-19		2058.59	0	2058.59	1004.95	1053.64
2019-20		1053.64	0	1053.64	641.96	411.68
2020-21 (माह 12/2020 तक)		411.68	0	411.68	387.81	23.87

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	परंपरागत कृषि विकास योजना-2	0	0	0	0	0
2016-17		0	0	0	0	0
2017-18		0	0	0	0	0
2018-19		0	634.00	634.00	115.16	518.84
2019-20		518.84	667.00	1185.84	422.91	762.93
2020-21 (माह 12/2020 तक)		762.93	769.00	1531.93	800.59	---

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	नमामि गंगे	0	0	0	0	0
2016-17		0	0	0	0	0
2017-18		0	0	0	0	0
2018-19		0	0	0	0	0
2019-20		0	0	0	0	0
2020-21 (माह 12/2020 तक)		0	406.89	406.89	73.02	-

iii). इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई 'सी' श्रेणी में लिया गया है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

अध्यक्ष
I
उपाध्यक्ष, यूओसीबी, देहरादून
I
सचिव/ प्रबन्ध निदेशक
I
वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक
I
लेखाकार

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04/2015 से 12/2020 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय सचिव, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020, 06/2020 एवं 11/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 अ</u>

<u>प्रस्तरः01</u>- बोर्ड के प्रावधानों के विपरीत शासन द्वारा नियुक्तियाँ किए जाने के परिणाम स्वरूप रु. 27.19 लाख का अनियमित व्यय।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माह जनवरी 2004 में उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया था । परिषद का प्रमुख उद्देश्य जैविक खेती के अंतर्गत उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु एक संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करने हेतु प्रदेश सरकार को सुझाव एवं सहायता प्रदान करना था । इसके अतिरिक्त परिषद का एक अन्य कार्य इस क्षेत्र में पेशेवर प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाओं को नियमित एवं सतत आधार पर आधुनिक एवं उन्नत बनाया जाना था । परिषद के गठन के समय इसकी कार्यकारिणी के अंतर्गत अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त भारत सरकार का एक प्रतिनिधि ,02 कृषि विशेषज्ञ एवं 11 सदस्यों को सम्मलित किया गया था जिसमे से 03 सदस्य पदेन राज्य सरकार थे । परिषद के सदस्यों के अंतर्गत परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव,एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखंड शासन ,उपाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि उत्तराखंड शासन एवं सचिव के रूप में , सरकार के अंतर्गत पदेन अधिकारी परिभाषित किया गया था परिषद के गठन में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया था कि उपाध्यक्ष के पद पर उपरोक्त अधिकारियों से इतर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता हैं । उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद ,देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा **माह फरवरी 2014 से मार्च 2016 तक** उपरोक्त अधिकारियों से इतर **श्री रोशन लाल सेमवाल की उपाध्यक्ष** के पद नियुक्ती की गयी जिनको न सिर्फ मानदेय के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रदान की गयी बल्कि उनके एक सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदेय के रूप में भी धनराशि का वहन किया गया जिसका विवरण निम्नवत था –

माह	**उपाध्यक्ष का मानदेय**	**सहायक का मानदेय**	**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मानदेय**	**कुल प्रदत्त धनराशि (रु.में)**
02/2014	35000	56000	40000	131000
03/2014				
04/2014				
05/2014				
06/2014				
07/2014				
08/2014				
09/2014	15000			
10/2014	15000	7000	5000	27000
11/2014	15000	7000	5000	27000
12/2014	15000	7000	5000	27000
01/2015	15000	7000	5000	27000
02/2015	15000	7000	5000	27000
03/2015	15000	7000	5000	27000
04/2015	15000	7000	5000	27000
05/2015	15000	7000	5000	27000
06/2015	14100	14200	9500	37800
07/2015	14000	15000	10000	39000
08/2015	19806	15000	10000	44806
09/2015	16000	15000	10000	41000
10/2015	15000	15000	10000	40000
11/2015	16000	15000	10000	41000
12/2015	16000	15000	10000	41000

01/2016	16000	15000	10000	41000
02/2016	16000	15000	10000	41000
03/2016	16000	15000	10000	41000
कुल	**3,28,906**	**2,61,200**	**1,79,500**	**7,69,606**

इसके अतिरिक्त परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में श्री रोशन लाल सेमवाल को वाहनसुविधा ,फोन का बिल एवं दैनिक भत्ते के रूप में निम्नवत धनराशि के भुगतान भी किए गए-

टेक्सी		**फोन**		**दैनिक भत्ता**	
अवधि	धनराशि	अवधि	धनराशि	अवधि	धनराशि
02/2014 से 08/2014	238608	02/2014 से 10/2014	9300+ 11000(मो°क्रय)	12/2014 से 04/2015	6000
09/2014 से 12/2014	147720	11/2014 से 01/2015	3150	05/2015 से 08/2015	26250
01/2015 से 04/2015	163607	02/2015 से 05/2015	4300	---	---
05/2015 से 08/2015	152724	---	---	---	---
	702659		**27750**		**32250**
कुल भुगतान	**7,62,659**				

इसी प्रकार शासन द्वारा माह अप्रेल 2015 से मार्च 2016 तक उपरोक्त अधिकारियों से इतर **सुश्री लक्ष्मी राणा की अध्यक्ष** के पद पर नियुक्ती की गयी जिनको न सिर्फ मानदेय के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रदान की गयी बल्कि उनके एक सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदेय के रूप में भी धनराशि का वहन करते हुए भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत था –

माह	**अध्यक्ष का मानदेय**	**सहायक का मानदेय**	**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मानदेय**	**कुल प्रदत्त धनराशि (रु.में)**
04/2015	16500	8000	7700	32200
05/2015	16500	8000	7700	32200
06/2015	15150	14300	9770	39220
07/2015	15000	6744	10000	31744
08/2015	18290	---	10000	28290
09/2015	17000	15000	10000	42000
10/2015	17000	15000	10000	42000
11/2015	17000	15000	10000	42000
12/2015	17000	15000	10000	42000
01/2016	17000	15000	10000	42000
02/2016	17000	15000	10000	42000
03/2016	11516	10161	6774	28451
कुल भुगतान				**4,44,105**

इसी प्रकार पुनः शासन द्वारा 23 जनवरी 2020 से वर्तमान तक उपरोक्त अधिकारियों से इतर **श्री सुशील चौहान की नियुक्ति उपाध्यक्ष** के पद पर की गयी । श्री चौहान को मानदेय के रूप में निम्नवत धनराशि का भुगतान किया गया –

माह	**उपाध्यक्ष का मानदेय**	**सहायक का मानदेय**	**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मानदेय**	**कुल प्रदत्त धनराशि (रु.में)**
01/2020	15968	-	-	15968
02/2020	95000	-	-	95000
03/2020	95000	-	-	95000
04/2020	95000	-	-	95000
05/2020	176666	-	-	176666
06/2020		-	-	
07/2020	88334	-	-	88334
08/2020	88334	-	-	88334
09/2020	88334	-	-	88334
कुल	**7,42,636**	**-**	**-**	**7,42,636**

इस प्रकार बोर्ड के गठन के प्रावधानों के विपरीत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में इतर व्यक्तियों की नियुक्ति कर उनको मानदेय एवं अन्य सुविधाओं यथा उनके सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मानदेय, टेक्सी ,फोन एवं दैनिक भत्तों के रूप में रु.27,19,006/-का अनियमित भुगतान किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में आपत्ति किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि "उपरोक्त व्यक्तियों की नियुक्ति शासन स्तर से की गयी थी एवं पत्र के माध्यम से इन्हे राज्यमंत्री स्तर की सुविधाएं देने को कहा गया था इसी के क्रम में उक्त व्यक्तियों को भुगतान किए गए" । इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तरांचल जैविक उत्पाद बोर्ड के गठन के समय उसके Memorandum of Association में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया था कि-

"The Chairman" shall mean the "Principal Secretary & Commissioner "Forest & Rural Development" of the state Ex-Officio under Rule 5.2 of the Board.

"The Vice Chairman" shall mean the "Principal Secretary/ Secretary Agriculture Govt.of Uttranchal Ex-Officio under Rule 5.3 of the Board.

बोर्ड के Memorandum of Association में कहीं भी यह जिक्र किया गया था कि इन पदों पर किसी अन्य व्यक्ति की भी नियुक्ति की जा सकती है एवं न ही बाद में बोर्ड की किसी मीटिंग में इस प्रकार के किसी संशोधन का प्रस्ताव पारित करके शासन से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी । इस स्थिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर बोर्ड के Memorandum of Association के विपरीत नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जाना अनुचित एवं अनियमित था । शासन द्वारा यदि इन इन पदों पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर राज्यमंत्री की सुविधाएं दिये जाने संबंधी कोई पत्र जारी किया गया था तो शासन को इस तथ्य का संज्ञान दिलाते हुए पुनः निर्देश प्राप्त किए जाने चाहिये थे । इस प्रकार शासन द्वारा बोर्ड के प्रावधानों के विपरीत नियुक्तियाँ किए जाने के परिणामस्वरूप रु.27.19 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर 01- 01-05 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी रु.39.23 लाख के अग्रिमों का असमायोजित रहना ।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 292 के अनुसार किसी भी प्रकार के अग्रिम के सापेक्ष आगामी 15 दिनों में उसका समायोजन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए । अन्यथा की स्थिति में उस अग्रिम की वसूली उसके आगामी वेतन से की जानी चाहिए । उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि परिषद द्वारा स्थापना संबंधी कार्यों हेतु एवं कृषि योजनाओं से संबन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु विगत 05 वर्षों में अपने यहाँ तैनात कर्मचारियों को रु.39,22,858/-की धनराशि, अग्रिम धनराशि के रूप में प्रदान की गयी थी (संलग्नक-1) । आगे जांच में पाया गया कि उक्त अग्रिम माह 01/2016 से माह 02/2020 की अवधि के मध्य प्रदान किए गए थे परंतु लेखापरीक्षा तिथि (01/2021) तक उक्त अग्रिमों के सापेक्ष उनका समायोजन किए जाने की कार्यवाही नहीं की गयी थी अतः उक्त धनराशि इकाई के खातों में असमायोजित राशि के रूप में परिलक्षित हो रही थी । लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में आपत्ति किए जाए पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि "विभिन्न अग्रिमों के सापेक्ष समायोजन प्रस्तुत करने हेतु पुनः पत्र लिखा जाएगा एवं शीघ्र ही समायोजन की कार्यवाही की जाएगी । इकाई द्वारा लेखापरीक्षा की एक अन्य आपत्ति के संबंध में बताया गया कि भविष्य में यह प्रयास किया जाएगा कि एक अग्रिम के समायोजन प्राप्त होने पर ही पुनः अग्रिम दिया जाए तथा अग्रिम की धनराशि अधिक होने पर जमानत राशि प्राप्त की जाएगी" । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है तथा भविष्य में समुचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन देता है ।

अतः 01-05 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी रु.39.23 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-133/2020-21

(संलग्नक-1)

Name &Post			PKVY II	SSB II	UOCB	PKVY	Total
1	Mr. Dinesh Rawat	Accountant	0	2100(01/17)	34659(03/19)	83328(09/17)	**120087**
2	Mr.Ganesh Bhatt	Computer Operator	0	0	5938(02/20)	51500(09/17)	**57438**
4	Devendra Singh Negi	SRF	0	78000(01/16)	70000(01/18) 10000(10/16)	3000(12/18)	**161000**
5	Suman Mahan	SRF	0	40000(01/16)	0	0	**40000**
6	Manohar Singh Adhikari	ATC	0	40000(01/16)	0	0	**40000**
7	Dhoom Singh Negi	CO	0	40000(01/16)	0		**40000**
8	Mr. Yashvant Singh	T.O	0	0	16000(01/16)	25000	**41000**
9	Mr. Sarvesh Kumar	T.O	0	0	0	33000(11/17)	**33000**
10	Mr. Diwakar Joshi	T.O	0	0	0	8000	**8000**
11	Mr.Sanjeev Kumar	T.O	0	0	0	10000	**10000**
12	Mr. Pankaj Kumar	T.O	0	0	0	13000	**13000**
13	Mr. Naresh Dangwal	T.O	0	0	38000(03/16)	13000(09/17)	**51000**
14	Mr.Rajesh Kumar	T.O	0	0	0	15003	**15003**
15	Mr. Dipesh Chandra	T.O	0	0	0	43000	**43000**
16	Radhy Shyam	T.O	0	0	0	10000(04/16)	**10000**
17	Mr. Krishan Kumar Utpreti	T.O	0	0	0	8000	**8000**
18	Mr. Bhagwat Prasad Devali	SCF	0	0	0	5000	**5000**
19	Mr. K.M.Upadhyay	SCF	0	0	0	10000(04/16)	**10000**
20	Mr. Sandeep Negi	SCF	0	0	0	10000	**10000**
21	Mr. Tika Ram Uniyal	SCF	0	0	0	6000	**6000**
22	Mr.Gopal Krishan Joshi	SCF	0	0	0	18000(04/18)	**18000**
23	Mr. Murari Lal	SCF	0	0	0	9000	**9000**
24	Pawan Manwal	SCF	28000	0	0	32500	**60500**
25	Parvendra Rawat	SCF	0	0	0	11540(07/17)	**11540**
26	Ramesh Chandra	SCF	0	0	0	13000	**13000**
27	Kaviraj Singh	SCF	0	0	0	9000	**9000**
28	Baivhav Nandan Shah	SCF	0	0	0	5000	**5000**
29	Mr. Dhanvir Singh	Internal Inspector	0	342	0	1800	**2142**
30	Himanshu Bisht	Marketing Manager	0	10600(11/17)	273000(02/16)	17250(03/17)	**300850**
31	Ajay Pal Singh Panwar	IT Manager	0	10600(09/17)	8500 (11/19)	0	**19100**

32	Vinay Kumar	M.D UOCB	0	0	250818(04/18)	20000(11/16)	**270818**
33	Amit Shrivastav	Technical Manager	0	0		55000(01/18)	**223860**
					168860(08/18)		
34	Sanjeev Srivastav	Q.M	0	0	2550(01/18)	0	**2550**
35	Pankaj Kumar	Ass.Marketing Manager	0	0	81000(10/17)	154275(11/17)	**235275**
36	Pradeep Kumar	Support staff	0	0	2195(04/17)	0	**2195**
37	**Roshan Lal Semwal**		0	0	68800(02/16)	0	**68800**
38	Daleep singh Adhikari		0	20000(01/16)	0	0	**20000**
39	ICCOA		0	0	1875000(01/16)	0	**1875000**
40	Obroy Transport Service		0	0	**0**	7000(05/16)	**7000**
41	Ragubeer Singh Farmer		0	0	**0**	4500	**4500**
42	Rajendra Singh		0	0	**0**	2200(05/18)	**2200**
43	Organic Producer Group Dohaniya		0	0	**0**	6000(09/17)	**6000**
44	Meekakshi Cattring service		0	35000(01/16)	0		**35000**
Total			**28000**	**2,76,642**	**29,05,320**	**7,12,896**	**39,22,858**

भाग-2 "ब"

<u>प्रस्तर 02 :-</u> 68.12 लाख की राशि अवरुद्ध रख कर किसानों को योजना के विभिन्न लाभों से वंचित रखा जाना।

परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था , यह केंद्र प्रायोजित योजना, स्थायी कृषि के राष्ट्रीय मिशन (नमसा) के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तारित घटक है। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य जैविक खेती को समर्थन और बढ़ावा देना है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है।उक्त योजना के अंतर्गत कृषि निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा परंपाग्त कृषि विकास योजना 2015-16 को राज्य स्तर में संचालन हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 कुल 2865.84* लाख का आबंटन किया गया था। जिसके सापेक्ष उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा योजना के निर्देशानुसार राज्य के कुल 10877 किसानों को 201 क्लस्टर का गठन कर उक्त योजना के अंतर्गत रजिस्टर किया गया।उक्त योजना के अंतर्गत 201 क्लस्टरों में भारत सरकार एवं कृषि विभाग, उत्तराखंड के नियमावली के अनुसार क्लस्टर एप्रोच के आधार पर जैविक ग्राम का खाद प्रबंधन एवं बायोलाजिकल नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग हेतु चयन के अनुसार जैविक खेती हेतु एक्शन प्लान एवं एकीकृत खाद प्रबंधन के निम्नलिखित मदों में कृषकों को भुगतना करने का प्रावधान था:-

क्रम संख्या	मद का नाम	भुगतान की जाने वाली राशि
1	भूमि का जैविक में परिवर्तन	1000/एकड़
2	जैविक बीज/रोपण सामाग्री वितरण/उत्पादन	500/प्रति वर्ष
3	पारंपरिक जैव निवेश उत्पादन इकाई स्थापना	1500/इकाई/एकड़
4	बायोलाजिकल नाइट्रोजन हार्वेस्ट प्लांटिंग	1000/एकड़
5	बोटेनिकल एक्सट्रेक्ट उत्पादन इकाई	1000/इकाई / एकड़
6	तरल जैव उर्वरकों का वितरण	500/एकड़
7	फॉस्फेटरिच जैव खाद /जाइम ग्रेन्यूल	1000/एकड़
8	कस्टम हायरिंग सेंटर	15000/कलस्टर
9	वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना (केचुवा सहित)	5000/यूनिट

उक्त योजना के अभिलेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त मदों पर वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कुल 10877 किसानो को डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में भुगतान किया जाना था।जिसमे वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु कुल 7752 किसानो को 4500 प्रति किसान के अनुसार कुल 34884000/- लाख तथा क्रम संख्या 1 से 8 की मदों में कुल 9990 किसानों को रु0 66616246/- का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में करने हेतु योजना से संबन्धित बैंक को पत्र द्वारा किसानों की सूची समेत अवगत कराया गया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु कुल 7752 किसानों में से 159 किसानों को रु0 715500/- तथा कर्म संख्या 1 से 8 की मदों में कुल 9990 किसानों में से 457किसानों को रु0 3708829/- लाख का भुगतान विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया जो की योजना के दिशानिर्देशा अनुसार किया जाना अनिवार्य था तथा इसके अतिरिक्त उक्त योजना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक प्राप्त कुल धनराशि रु02865.84 लाख में से रु0 23.88 लाख की धनराशि भी उक्त योजना अनुसार अतिथि तक व्यय नहीं की गयी है तथा बैंक खाते में अवरुद्ध रखी गयी है । आगे जाँच में यह भी पाया गया कि भारत सरकार को उक्त योजना में भेजे जाने वाले उपभोग प्रमाण पत्र में वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक आबंटित बजट के सापेक्ष पूर्ण बजट का उपभोग किए जाने का प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत किया गया है जबकि उपरोक्त मदों में कुल रु0 68.19 लाख (44.24+23.88) की धनराशि योजना से संबन्धित खाते में अतिथि तक जमा है जिसका भुगतान किसानों को योजना से संबन्धित कार्ययोजना के अनुसार उसी वर्ष में किए जाने का प्रावधान था। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि 201 कलस्टर में शामिल कुल 10877 किसानों में से 159 किसानो को वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु तथा बिन्दु संख्या 01 से 08 मदों में 887 किसानों को लाभ से

वंचित रखा गया तथा एवं 68.12 लाख की राशि को योजना के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी बैंक खाते में अवरुद्ध रख किसानों को योजना के विभिन्न लाभों से वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर सचिव, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा तथ्यों एवंआंकड़ोंकीपुष्टिकरतेहुयेअपनेउत्तरमेंबतायाकि887 कृषकों से बार-बार अनुरोध करने पर भी अपने बेंक खाता संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी तत्पश्चात बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया की कृषकों को अवशेष धनराशि से इनपुट उपलब्ध करा दिये जाए तथा 616 (159+457) कृषकों को पुन: भुगतान करने हेतु संबन्धित बैंक से भुगतान वापसी की सूची कारण सहित प्राप्त कर ली गयी है एवं पुन: भुगतान करने हेतु शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यूँ की योजना की दिशानिर्देशा अनुसार उपरोक्त तालिका की मदों में भुगतान करना अनिवार्य था तथा जिन कृषकों को किसी कारण वश भुगतान नहीं हो पाया है उन्हे पुन: भुगतान करने हेतु इकाई द्वारा उचित प्रयास नहीं किए गए।

अत: 68.12 लाख की राशि को अवरुद्ध रख कर किसानों को योजना के विभिन्न लाभों से वंचित रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-3:-</u> शासनादेश का उलंघन करते हुये विभिन्न खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु 89.90 लाख का राजकोष मे जमा न कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक- 126/ (1)/ xxvii (6)– T.C.A. 934– 2014 दिनांक 21.04.2017 (वित्त अनुभाग- 6) के अनुसार- "वित्त विभाग द्वारा समस्त प्रशासकीय विभागों को विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों द्वारा अपने बैंक खाते खोले गए हैं। प्रशासकीय विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करते हुये प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक घोर वित्तीय अनियमितता है। निर्देश है कि जितने भी बैंक खाते हैं, उन खातों में अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुये तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाय। उक्त धनराशि को जमा कराने की विभागाध्यक्ष की ब्यक्तिगत ज़िम्मेदारी रहेगी"।

इकाई सचिव, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून की लेखा अभिलेखों में पाया गया कि कार्यालयीन कार्यों हेतु संचालित 09 बचत बैंक खाते में कुल अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 89,90,026/- पाई गई।
विवरण:-

S. N.	Name of the bank	Account Number	Account type (saving or current)	Balance as on 31.12.2020	Total interest earned (upto 31.12.2020) Rs	Purpose to open the Account	State or central grant
1	SBI DDN	10159525321	Saving	199703	37061	UOCB	state
2	INDIAN OVERSEAS BANK DDN	042901000017548	Saving	185412	954249	UOCB	state
3	IDBI DDN	070104000129992	Saving	17898	3166	UOCB	state
4	THE NAINITAK BANK DDN	572000000001150	Saving	1717984	336664	UOCB	state
5	PNB DDN	1556000110117936	Saving	42999505	6671928	UOCB	state
6	THE NAINITAL BANK DDN	572000000001103	Saving	923830	201547	UOCB MISC	state
7	BANK OF INDIA DDN	705010110001139	Saving	368131	284470	MAJKHALI	state
8	PNB DDN	1556000110131167	Saving	40403	348042	MAJKHALI	state
9	THE NAINITAK BANK DDN	2001145	Saving	785558	152899	UOCB	state
				Total =	89,90,026/-		

उक्त अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 89,90,026/- इकाई में अवरुद्ध पायी गई।
लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर सचिव, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "समस्त अर्जित ब्याज की धनराशि समय समय पर कृषि निदेशालय को प्रेषित की जाती है। यथाशीघ्र प्रश्नगत अवरुद्ध धनराशि को निदेशालय को प्रेषित कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

अतः शासनादेश का उलंघन करते हुये इकाई द्वारा विभिन्न खातों में अर्जित ब्याज की कुल धनराशि रु 89.90 लाख का राजकोष मे जमा न कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग 2 अ प्रस्तर संख्या	भाग 2 ब प्रस्तर संख्या	STAN
प्रथम लेखापरीक्षा					

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
प्रथम लेखापरीक्षा				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…. शून्य …

भाग-V
आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सचिव, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: - परिषद गठन से 03/2015 तक के अभिलेख

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

नाम	पदनाम	अवधि
श्री विनय कुमार	सचिव	माह 04/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय सचिव, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ एएमजी- I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I